संख्या-40/2017/721/26-3-2017-10(28)/99

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 30 मार्च, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक-2225 पर संचालित 02 विमुक्त जातियों छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रूपया-63.29 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-71/2016/1003/26-3-2016-10(28)/99, दिनांक 01-4-2016 के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-926/स0क0/शत्-प्रति/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ (357)/ बजट/2016-17, दिनांक 17.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-शैक्षिक कार्यक्रम-0302-विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान-20-सहायता-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि **रूपया-400.00 (रूपये चार करोड़ मात्र)** लाख के सापेक्ष धनराशि **रूपया-63.29 लाख (रूपये तिरसठ लाख उन्नतीस हजार मात्र)** विभाग द्वारा शत् प्रतिशत अनुदान पर संचालित प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज लखनऊ, विकास विद्यालय ईश्वरशरण आश्रम इलाहाबाद एवं आश्रम रीति विद्यालय, सहारनपुर में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान तथा संवासी छात्रों के भोजन, वस्त्र, विद्युत देयों की वचनबद्ध देयता हेतु अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(2) अनुदान एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समान रूप से की जाये। गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत धनराशि एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(5) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का वहन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान सं0-80 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03 शैक्षिक कार्यक्रम-0302-विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान-20-सहायता-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-8 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-40/2017/721(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

4- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।

6- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ

8- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी,उ0प्र0 द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।

9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।